

[2024] 7 एससीआर 942: 2024 आईएनएससी 530

किरण ज्योत मैनी

बनाम

अनीश प्रमोद पटेल

(आपराधिक अपील सं. 2915-2918/2024)

15 जुलाई 2024

[न्या.श्री विक्रम नाथ और न्या. श्री प्रशांत कुमार मिश्रा]

विचारणीय विवादक

पक्षकारण के बीच लंबे समय से अलगाव, न्यायनिर्णय लंबित कई लंबे मुकदमे, सुलह के कई असफल प्रयास। मुद्दा अंतरिम भरण-पोषण के संबंध में था, तथापि, विवाह के अपूरणीय रूप से टूट जाने के मद्देनजर भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी-पत्नी और प्रत्यर्थी-पति के बीच विवाह को विघटित कर दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को भुगतान की जाने वाली स्थायी निर्वाह व्यय की राशि।

शीर्ष टिप्पणियाँ

भारत का संविधान - अनुच्छेद 142 - के तहत शक्तियों का प्रयोग - असुधार्य होने के मद्देनजर विवाह का विघटन - दोनों पक्ष एक वर्ष से भी कम समय तक एक साथ रहे और पिछले नौ वर्षों से अलग-अलग रह रहे थे- अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी -पति के खिलाफ क्रूरता, चोट एवं दहेज की मांग के गंभीर आरोप - कई सिविल/आपराधिक कार्यवाही लंबित - सुलह के असफल प्रयास:

अभिनिर्धारित: अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को समाप्त करने की निहित शक्तियों का प्रयोग तब किया जाता है जब न्यायालय पाता है कि विवाह समाप्त हो चुका है, अव्यवहारिक है, सुधार से परे है, भावनात्मक रूप से नष्ट हो चुका है तथा इस प्रकार पूरी तरह से टूट चुका है, भले ही मामले के तथ्यों में लागू विधि में दिए गए तलाक के लिए कोई आधार नहीं बनता है- वर्तमान मामले में, पक्षकारगण के बीच विवाह पूरी तरह से टूट चुका है- दोनों पक्षकारगण ने आपसी सहमति से यह भी तय किया है कि उनका पति-पत्नी के रूप में अपना रिश्ता जारी रखने का कोई इरादा नहीं है- निचली न्यायालयों के आदेश एवं निर्णय अपास्त किए गए- अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षकारगण के बीच विवाह समाप्त कर दिया गया तथा तलाक का आदेश दे दिया गया। [अनुच्छेद 15, 18, 20, 34]

रख-रखाव- स्थायी निर्वाह व्यय- अनुदान - भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षकारगण के मध्य विवाह समाप्त हो गया- प्रत्यर्थी- प्रत्यर्थी-पति बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और उनका शुद्ध वेतन प्रति माह 5 लाख रुपये से अधिक था, जबकि अपीलार्थी-पत्नी का वेतन 1,39,000 रुपये प्रति माह था- अपीलार्थी ने एकमुश्त निपटान के रूप में 5 से 7 करोड़ रुपये की मांग की, प्रत्यर्थी ने 50 लाख रुपये देने की पेशकश की:

अभिनिर्धारित: दोनों पक्षकारगण के जीवन स्तर उच्च हैं, जिसका आनंद अपीलार्थी-पत्नी ने उनके अलग होने के बाद भी लेना जारी रखा- यद्यपि दोनों ही सुयोग्य हैं और लाभकारी रोजगार में लगे हैं, तथापि प्रत्यर्थी, अपीलार्थी की मासिक आय से लगभग पांच गुना अधिक कमाता है- प्रत्यर्थी के तीन आश्रितों, अपने स्वयं के खर्चों एवं बैंक ऋणों के प्रति कुछ दायित्व हैं, लेकिन स्पष्टतः उसके पास अपनी पूर्व

पत्नी का भरण-पोषण करने की वित्तीय क्षमता भी है- विवाह विच्छेद के बाद भी अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना उसके लिए कानूनी दायित्व एवं वित्तीय क्षमता रखता है- भरण-पोषण या स्थायी निर्वाह व्यय दंडात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि पत्नी के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होना चाहिए- पक्षकारगण की सामाजिक एवं वित्तीय स्थिति, उनके वर्तमान रोजगार के साथ-साथ भविष्य की संभावनाओं, जीवन स्तर एवं उनके दायित्वों, देनदारियों तथा अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी निर्धारित समय के भीतर अपीलार्थी को स्थायी निर्वाह व्यय के रूप में 2 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।[अनुच्छेद 30, 32-34]

भरण-पोषण - स्थायी निर्वाह व्यय- उचित मात्रा में - एकमुश्त निपटान के न्यायनिर्णयन और निर्धारण के संबंध में विधि- विचारणीय कारक - चर्चा की गई।

उद्धृत निर्णयज विधि

हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर [\[2011\] 6 एससीआर 118:](#) (2011) 5 एससीसी 234; अशोक हुर्रा बनाम रूपा बिपिन झवेरी [\[1997\] 2 एससीआर 875:](#) (1997) 4 एससीसी 226; शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन [\[2023\] 5 एससीआर 165:](#) (2022) 15 एससीसी 754; विन्नी परमवीर परमार बनाम परमवीर परमार [\[2011\] 9 एससीआर 371](#) : 2011 (13) एससीसी 112; विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल [\[2012\] 7 एससीआर 607:](#) (2012) 7 एससीसी 288; रजनीश बनाम नेहा एवं अन्य [\[2020\] 13 एससीआर 1093:](#) (2021) 2 एससीसी 32 - पर निर्भरता रखी गई।

मनीष जैन बनाम आकांक्षा जैन [\[2017\] 3 एससीआर 702:](#) (2017) 15 एससीसी 801; शैलजा व अन्य बनाम खोबबन्ना (2018) 12

एससीसी 199; सुनीता कचवाहा व अन्य बनाम अनिल कचवाहा
(2014) 16 एससीसी 715 - संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; दंड संहिता, 1860; दहेज निषेध अधिनियम, 1961; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

मूलशब्दों की सूची

भारत के संविधान का अनुच्छेद 142; भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह विच्छेद करने की अंतर्निहित शक्तियां; विवाह का असुधारणीय रूप से टूटना; विवाह विच्छेद; भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाह विच्छेद; भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी गई तलाक की डिक्री; वैवाहिक विवादों में एकमुश्त समझौता; भरण-पोषण; स्थायी निर्वाह व्यय; उचित मात्रा में स्थायी निर्वाह व्यय; एकमुश्त समझौता; वैवाहिक विवाद; अलगाव; सुलह असफल; अंतरिम भरण-पोषण; क्रूरता, चोट एवं दहेज की मांग के आरोप; पक्षकारगण की सामाजिक एवं वित्तीय स्थिति।

से उद्भूत मामला

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : आपराधिक अपील सं. 2915-2024 /2918

दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 01.12.2023 से पारित निर्णय एवं आदेश से आप.वि.वा. 406/2023 एवं आप.वि.वा. 4294,4907,17294/2023 के साथ आपराधिक अपील सं. 2919-2922/2024

पक्षकारगण की ओर से प्रस्तुति

गौरव भाटिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, पवनश्री अग्रवाल, उत्कर्ष जायसवाल, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

समीर कुमार, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्तागण।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. श्री विक्रम नाथ

आप.अपील सं...../2024@वि.अनु.या.(आप.) सं. 672-675/2024:

1. अनुमति प्रदानित।

2. वर्तमान अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आप.वि.मा. 406/2023 एवं आप.वि.आ. 4294/2023, आप.वि.आ. 4907/2023, आप.वि.आ. 17294/2023 में पारित दिनांक 01.12.2023 के आक्षेपित आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत न्यायालय ने प्रत्यर्थी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गौतम बुद्ध नगर द्वारा उसके समक्ष अपीलों में अपीलार्थी को दिए गए अंतरिम भरण-पोषण के कुल बकाया का केवल 20% भुगतान करने का निर्देश दिया है। वर्तमान अपील में प्रत्यर्थी के बैंक खाते को कुर्क करने एवं अंतरिम भरण-पोषण के लिए आक्षेपित निर्णय की तिथि तक 65,00,000/- रुपये (केवल पैंसठ लाख रुपये) के पूर्ण बकाया का भुगतान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार करने को भी चुनौती दी गई है।

3. वर्तमान मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि अपीलार्थी-पत्नी एवं प्रत्यर्थी-पति के बीच विवाह दिनांक 30.04.2015 को हुआ था तथा एक वर्ष के भीतर दिनांक 13.04.2016 को थाना महिला थाना, गौतम

बुद्ध नगर, यूपी में अपीलार्थी-पत्नी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498क/323/504, 18601 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत प्राथमिकी सं. 34/2016 पंजीकृत की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी की आपराधिक विविध रिट याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने एवं प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए, दिनांक 06.05.2016 के आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय ने पक्षकारगण को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया और इस तरह प्रत्यर्थी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तत्पश्चात रिट याचिका को दिनांक 22.09.2016 के आदेश द्वारा गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया गया।

4. इसके बाद अपीलार्थी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर के समक्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत आवेदन सं. 4622/2016 पेश किया, जिसमें उसके द्वारा पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 23 के तहत अंतरिम भरण-पोषण की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 10.05.2018 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी को अपीलार्थी को 35,000/- रुपये (केवल पैंतीस हजार रुपये) का अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया। दोनों पक्षकारगण ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्ध नगर के समक्ष दो अलग-अलग अपीलों के माध्यम से इस आदेश को चुनौती दी। दिनांक 01.02.2019 के आदेश के तहत, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को संशोधित किया तथा प्रत्यर्थी को अपीलार्थी को प्रति माह 45,000 रुपये और उसकी बेटी को प्रति माह 55,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गई।

5. अंतरिम भरण-पोषण के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के

समक्ष आवेदन सं. 12860/2019 प्रस्तुत किया और मामले को दिनांक 09.04.2019 के आदेश द्वारा पुनः मध्यस्थता के लिए भेजा गया। दिनांक 06.07.2019 को पक्षकारगण के बीच मध्यस्थता विफल हो गई एवं अपीलार्थी ने दिनांक 01.02.2019 के आदेश का पालन न करने अर्थात् अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान न करने के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 31(1) के तहत आपराधिक आवेदन सं. 41/2019 दायर किया। गौतमबुद्ध नगर के विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश तृतीय की न्यायालय द्वारा समन जारी किया गया था। प्रत्यर्थी ने दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत आवेदन सं. 33533/2019 के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष समन को चुनौती दी थी। दिनांक 16.09.2019 के आदेश के तहत समन पर रोक लगा दी गई तथा दिनांक 13.12.2019 के आदेश के द्वारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत अपीलार्थी के आवेदन का शीघ्र निपटान करने का निर्देश दिया क्योंकि कार्यवाही में कोई रोक नहीं थी।

6. प्रत्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन पर, पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन सं. 4622/2016 और पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 31(1) के तहत आपराधिक आवेदन सं. 41/2019 की कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.08.2021 के आदेश द्वारा तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई। दिल्ली में मामला सं.41/2019 को मामला सं. 882/2022 के रूप में दर्ज किया गया तथा मामला सं. 4622/2016 को मामला सं. 691/2022 के रूप में दर्ज किया गया। इस बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.03.2023 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी द्वारा धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत दायर आवेदन सं. 33533/2019 और आवेदन सं. 12860/2019 को उसके अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया। प्रत्यर्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका

एवं आपराधिक विविध आवेदन प्रस्तुत किया, जिन्हें क्रमशः आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 298/2023 तथा आपराधिक विविध मामला सं. 1951/2023 के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसमें पहले की तरह ही राहत की मांग की गई और अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को चुनौती दी गई।

7. अपीलार्थी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 सहपठित धारा 482, दं.प्र.सं. के अंतर्गत एक याचिका दायर की जिसमें महिला न्यायालय, तीस हजारी, केंद्र, नई दिल्ली के समक्ष लंबित मामलों में प्रत्यर्थी के खातों की कुर्की सहित उचित निर्देश देने की मांग की गई और इसे आपराधिक विविध मामला सं. 406/2023 के रूप में पंजीकृत किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.05.2023 के आदेश के तहत याचिका में अपीलार्थी द्वारा दायर विविध आवेदन का निपटान कर दिया एवं प्रत्यर्थी को निर्देश दिया कि वह 31.12.2022 तक देय अंतरिम भरण-पोषण के कुल बकाया का 10%, यानी 52,95,000/- रुपये का 10%, आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को तत्काल अंतरिम राहत के रूप में भुगतान करे।

8. दिल्ली के तीस हजारी स्थित महिला न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को संशोधित किया गया एवं न्यायालय ने प्रत्यर्थी को चौबीस घंटे के भीतर अपीलार्थी को 2 लाख रुपये और शेष राशि 3,92,500 रुपये (तीन लाख निन्यानबे हजार पांच सौ रुपये मात्र) दिनांक 09.06.2023 से पहले भुगतान करने का निर्देश दिया।

9. दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रत्यर्थी द्वारा दायर विविध आवेदन के साथ अनुच्छेद 227 के तहत अपीलार्थी की याचिका का अंतिम रूप से निपटान करते हुए, प्रत्यर्थी को बीस दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को अंतरिम रखरखाव के कुल बकाया का 20% यानी 65,00,000/- रुपये (पैंसठ लाख रुपये केवल)

का भुगतान करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के बैंक खातों को कुर्क करने एवं निर्णय की तिथि तक रखरखाव के पूर्ण बकाया का भुगतान करने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को खारिज कर दिया, जो कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गौतम बुद्ध नगर द्वारा अपील सं. 39 और 62/2018 में पारित दिनांक 01.02.2019 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को दिए गए अंतरिम रखरखाव के लिए था। उच्च न्यायालय ने महानगर मजिस्ट्रेट, महिला न्यायालय, केंद्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय को निर्देश दिया कि वह दोनों पक्षकारगण के आय शपथपत्र पर विचार करने के बाद, तीन महीने के भीतर उसके समक्ष लंबित मामले में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को मासिक रूप से देय अंतरिम भरण-पोषण राशि की मात्रा तय करें। इस आदेश को अपीलार्थी पत्नी ने हमारे समक्ष इस आधार पर चुनौती दी है कि प्रत्यर्थी पति ने पिछले साढ़े पांच वर्षों से अंतरिम भरण-पोषण के लिए कोई राशि का भुगतान न करके अंतरिम भरण-पोषण के आदेश की अवहेलना की है।

10. प्रत्यर्थी-पति ने इन अपीलों का इस आधार पर विरोध किया है कि अपीलार्थी इन सभी वर्षों में मामलों के लंबित रहने के दौरान लाभकारी रोजगार में लगी रही है उसके पास अचल संपत्ति के रूप में कई परिसंपत्तियां हैं, तथा अपनी पिछली शादी से हुई नाबालिग बेटी के लिए उसे पहले ही 40 लाख रुपये की भरण-पोषण राशि मिल चुकी है। दोनों पक्षकारगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दी जाने वाली अंतरिम भरण-पोषण राशि से असहमत थे। लेकिन वे दोनों पक्षकारगण के बीच तनावपूर्ण संबंधों पर सहमत प्रतीत होते हैं, जिसे दोनों पक्षकारगण ने सुलह के दायरे से बाहर बताया है।

11. इस न्यायालय ने सुलह की संभावना पर चर्चा करने के लिए पक्षकारगण की बंद कमरे में भी सुनवाई की, लेकिन कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों ने कहा कि वे आपसी सहमति से अपने विवाह को खत्म करने

के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों पक्षकारगण के सुलह की कोई संभावना नहीं बची है और विवाह अब केवल कागजों पर ही रह गया है।

12. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण की दलीलें विस्तार से सुनी हैं।

13. सर्वप्रथम यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि यह विवादास्पद नहीं है कि विवाह के प्रथम वर्ष में ही पक्षकारगण के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे तथा अपीलार्थी पत्नी और प्रत्यर्थी पति पिछले नौ वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि पक्षकारगण को विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई चरणों में मध्यस्थता के लिए भेजा गया था और सुलह तथा विवाह को जारी रखने के सभी प्रयास विफल हो गए हैं तथा पक्षों के बीच अब साथ में रहने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षकारगण के बीच विवाह पूरी तरह से टूट चुका है।

14. रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के खिलाफ क्रूरता, चोट और दहेज की मांग की शिकायत अपीलार्थी द्वारा उनकी शादी के पहले 11 महीनों के भीतर दर्ज की गई थी, जिसके बाद अपीलार्थी द्वारा पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत सुरक्षा की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया था। अपीलार्थी ने पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम की धारा 31(1) के तहत अंतरिम भरण-पोषण की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। इसके तुरंत बाद, प्रत्यर्थी ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 17(1)(घ) के तहत याचिका दायर की, जिसमें क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की गई। ये सभी कार्यवाहियां तब से लंबित हैं तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए तथा बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा संशोधित अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को दोनों पक्षकारगण द्वारा कई चुनौतियां दी गई हैं।

15. पक्षकारगण के बीच लंबे समय से अलगाव, न्याय निर्णय के लिए लंबित लंबे समय से चल रहे कई मुकदमे, तथा सुलह के कई असफल प्रयास के उपरोक्त स्वीकृत तथ्य इस बात के प्रमाण हैं कि पक्षकारगण के मध्य विवाह पूरी तरह से टूट चुका है।

16. हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि न्यायालय द्वारा विवाह के अपूरणीय विघटन के आधार पर विवाह को तभी विघटित किया जा सकता है, जब ऐसा प्रतीत हो कि विवाह को बचाना असंभव हो गया है, सुलह के सभी प्रयास विफल हो गए हैं तथा न्यायालय को किसी भी उचित संदेह से परे यह विश्वास हो गया है कि विवाह के बचे रहने और सफल होने की कोई संभावना नहीं है।

17. इसके अलावा, इस न्यायालय ने अशोक हुर्रा बनाम रुपा बिपिन जावेरी मामले में यह टिप्पणी की थी कि सभी आवश्यक कारकों के संचयी प्रभाव पर विचार करने के बाद तथा यह देखते हुए कि पक्षकारगण के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों के कारण विवाह टूट गया है, तथा इस प्रकार पक्षकारगण की पीड़ा को लंबे समय तक जारी रखने एवं उनके रिश्ते के अपरिहार्य अंत को स्थगित करने से कोई उपयोगी उद्देश्य, चाहे वह भावनात्मक हो या व्यावहारिक प्राप्त नहीं होगा, न्यायालय विवाह विच्छेद का आदेश पारित कर सकता है।

18. इस न्यायालय ने पिछले कई वर्षों में अनेक निर्णयों के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत विवाह को विघटित करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया है, जहां यह पाता है कि विवाह समाप्त हो चुका है, असाध्य है, सुधार से परे है, भावनात्मक रूप से नष्ट है एवं इस प्रकार पूरी तरह से टूट चुका है, भले ही मामले के तथ्यों के आधार पर लागू विधि में प्रदत्त तलाक के लिए कोई आधार नहीं बनता है।

19. शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर विवाह को समाप्त करने का विवेकाधिकार प्राप्त है, जबकि वह प्रत्येक मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर विवेकाधिकार का सावधानीपूर्वक प्रयोग करता है, जिसका मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ मानदंडों एवं कारकों के आधार पर किया जाता है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि क्या विवाह पूरी तरह से टूट चुका है, इसकी तथ्यात्मक जांच की जानी चाहिए तथा यह पुख्ता तौर पर स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसी जांच में विचार किए जाने वाले कारक इस प्रकार हैं, विवाह के बाद सहवास की अवधि, जब उन्होंने अंतिम बार सहवास किया था, पक्षकारगण द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, पिछली या लंबित कानूनी कार्यवाही में पारित आदेश, सुलह या समाधान के प्रयास तथा उनके परिणाम, अलगाव की अवधि और इस तरह के अन्य समान विचार।

20. वर्तमान मामले में, दोनों पक्ष विवाह के बाद एक वर्ष से भी कम समय तक साथ रहे तथा पिछले नौ वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं। अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि उसके अनुसार, प्रत्यर्थी द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई, उसे चोट पहुंचाई गई एवं दहेज की मांग की गई, तथा उसने अपने पति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की है। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच सुलह के लिए न्यायालयों द्वारा विभिन्न चरणों में कई प्रयास किए गए, लेकिन सभी प्रयास निरर्थक रहे। दोनों पक्षकारगण के बीच कई कानूनी कार्यवाहियां लंबित हैं और निकट भविष्य में इनका निपटान होता नहीं दिख रहा है। इस तथ्यात्मक स्थिति को दोनों पक्षकारगण ने इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है तथा उन्होंने आपसी सहमति से यह भी कहा है कि उनका पति-पत्नी के रूप में अपना रिश्ता जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए, हमारा विचार है कि जबकि प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाली

अपीलार्थी-पत्नी के हित को एकमुश्त समझौते के माध्यम से संरक्षित करने की आवश्यकता है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने और पक्षकारगण के बीच विवाह को भंग करने का उपयुक्त मामला है।

21. इस प्रकार, मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा उपरोक्त बताए गए विचारों के प्रकाश में उनका विश्लेषण करते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्तियों के तहत अपीलार्थी -पत्नी और प्रत्यर्थी-पति के बीच विवाह को भंग करने का आदेश दिया जाता है।

22. इस मामले में अगला विवाद प्रत्यर्थी पति द्वारा अपीलार्थी पत्नी को दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि के संबंध में है। यद्यपि विवाह विच्छेद के साथ ही अंतरिम भरण-पोषण का मुद्दा समाप्त हो गया है, फिर भी पत्नी के हितों की रक्षा की जानी आवश्यक है ताकि उसे आर्थिक रूप से कष्ट न उठाना पड़े। दोनों पक्षकारगण ने एक-दूसरे की वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत आय एवं एक-दूसरे के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों पर जोरदार बहस और विवाद किया है। दोनों पक्षकारगण की सही वित्तीय स्थिति स्थापित करने के लिए, उन्होंने इस न्यायालय के आदेशानुसार अपनी आय और परिसंपत्तियों के बारे में शपथपत्र दाखिल किए हैं।

23. इससे पहले कि हम पक्षकारगण की वित्तीय स्थिति के विवरण में जाएं, हम वैवाहिक विवादों में एकमुश्त निपटान के न्यायनिर्णय एवं निर्धारण के लिए निर्धारित विधि पर चर्चा करना आवश्यक समझा। इस न्यायालय ने अपने निर्णयों की श्रृंखला में एकमुश्त निपटान के प्रश्न पर तथा उन कारकों पर विचार किया है जिन्हें स्थायी निर्वाह व्यय की उचित राशि निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। यद्यपि ये मामले विधि के विभिन्न प्रावधानों के तहत भरण-पोषण से संबंधित हैं, लेकिन

एकमुश्त निपटान के माध्यम से भरण-पोषण के निर्धारण का सिद्धांत सभी परिनियम और व्यक्तिगत विधियों पर समान रूप से लागू होता है।

24. विन्नी परमवीर परमार बनाम परमवीर परमार मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्थायी निर्वाह व्यय की राशि तय करने के लिए कोई निश्चित फार्मूला या कोई कठोर नियम नहीं हो सकता तथा केवल व्यापक सिद्धांत ही निर्धारित किए जा सकते हैं। भरण-पोषण का प्रश्न प्रत्येक मामले के लिए व्यक्तिपरक है और यह अलग-अलग मामलों में प्रस्तुत विभिन्न कारकों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में कहा कि न्यायालय स्थायी निर्वाह व्यय निर्धारित करते समय निम्नलिखित व्यापक कारकों पर विचार करेंगे - क्रमशः दोनों पक्षकारगण की आय एवं संपत्ति, पक्षकारगण का आचरण, पक्षकारगण की सामाजिक एवं वित्तीय स्थिति, उनकी संबंधित व्यक्तिगत आवश्यकताएं, उन पर निर्भर अन्य लोगों को भरण-पोषण करने की क्षमता तथा कर्तव्य, पति के अपने खर्च, पत्नी की स्थिति को देखते हुए उसका आराम और विवाह के दौरान उसके जीवन का तरीका, अन्य पूरक कारकों के मध्य। विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल मामले में इस न्यायालय ने इस बात को दोहराया था तथा कहा था कि स्थायी निर्वाह व्यय मुख्य रूप से सामाजिक स्थिति, पक्षकारगण के आचरण, पक्षकारगण की जीवनशैली तथा अन्य सहायक कारकों पर विचार करने के बाद ही प्रदान किया जाना चाहिए।

25. रजनेश बनाम नेहा एवं अन्य मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली न्यायपीठ ने निर्वाह व्यय की राशि निर्धारित करने के लिए व्यापक मानदंडों और विचार किए जाने वाले कारकों पर विस्तार से चर्चा की। यह निर्णय वैवाहिक विवादों में भरण-पोषण की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें विशेष रूप से स्थायी निर्वाह व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका प्राथमिक

उद्देश्य दूसरे पति या पत्नी को दंडित करने के बजाय, विवाह की विफलता के कारण आश्रित पति-पत्नी को अभाव या खानाबदोशी में पड़ने से रोकना है। न्यायलय ने इस बात पर जोर दिया कि भरण-पोषण राशि की गणना के लिए कोई निश्चित फार्मूला नहीं है; इसके बजाय, इसे विभिन्न कारकों पर संतुलित विचार के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इन कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं हैं:

- i. पक्षकारगण की सामाजिक एवं वित्तीय स्थिति।
- ii. पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित आवश्यकताएँ।
- iii. पक्षकारगण की योग्यता एवं रोजगार की स्थिति।
- iv. स्वतंत्र आय या पक्षकारगण के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ
- v. वैवाहिक घर जैसा जीवन स्तर बनाए रखना।
- vi. पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए नौकरी से जुड़ी कोई भी त्याग।
- vii. गैर-कामकाजी पत्नी के लिए उचित मुकदमेबाजी लागत।
- viii. पति की वित्तीय क्षमता, उसकी आय, भरण-पोषण दायित्व और देयताएँ।

पक्षकारगण की स्थिति महत्वपूर्ण कारक है, जिसमें उनकी सामाजिक स्थिति, जीवनशैली और वित्तीय पृष्ठभूमि शामिल है। पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित आवश्यकताओं का आकलन किया जाना चाहिए, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा और चिकित्सा व्यय शामिल हैं। आवेदक की शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं, साथ ही उनका रोजगार इतिहास, आत्मनिर्भरता के लिए उनकी क्षमता का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आवेदक के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत है या वह संपत्ति का मालिक है, तो यह भी निर्धारित करने के लिए ध्यान में

रखा जाएगा कि क्या यह विवाह के दौरान अनुभव किए गए जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय इस बात पर भी विचार करता है कि क्या आवेदक को पारिवारिक जिम्मेदारियों, जैसे बच्चों का पालन-पोषण या परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिए रोजगार के अवसरों का त्याग करना पड़ा, जिससे उनके कैरियर की संभावनाएं प्रभावित हुई हों।

26. इसके अलावा, स्थायी निर्वाह व्यय निर्धारित करने में पति की वित्तीय क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है। न्यायालय पति की वास्तविक आय, उसके स्वयं के भरण-पोषण के लिए उचित व्यय तथा आश्रितों, जिनका भरण-पोषण करना उसके लिए कानूनी रूप से बाध्य है, की जांच करेगा। संतुलित और निष्पक्ष भरण-पोषण सुनिश्चित करने के लिए उसकी देनदारियों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय को पति के जीवन स्तर और मुद्रास्फीति तथा उच्च जीवन-यापन लागत के प्रभाव पर विचार करना चाहिए। यदि पति यह दावा भी करता है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, तो भी उसकी शिक्षा एवं योग्यता के आधार पर उसकी कमाने की क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि दी गई राहत निष्पक्ष, उचित तथा पीड़ित पक्ष के जीवन स्तर के अनुरूप हो। न्यायालय का दृष्टिकोण सभी प्रासंगिक कारकों को संतुलित करने का होना चाहिए, ताकि भरण-पोषण की राशि अत्यधिक या अनुचित रूप से कम न हो, तथा यह सुनिश्चित हो कि आश्रित पति या पत्नी अलग होने के बाद उचित आराम के साथ रह सकें।

27. इसके अतिरिक्त, निर्णय में विशिष्ट परिदृश्यों पर भी विचार किया गया है, जैसे कि पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम के तहत निवास का अधिकार, भरण-पोषण पर पत्नी की आय का प्रभाव तथा नाबालिग बच्चों की आवश्यकताएं। यदि पत्नी कमाती भी है तो भी उसे भरण-पोषण प्राप्त

करने से नहीं रोका जा सकता; न्यायालय को यह आकलन करना चाहिए कि क्या उसकी आय, वैवाहिक घर के समान जीवनशैली बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। निर्णय में नाबालिग बच्चों की देखभाल से जुड़े खर्चों पर भी विचार किया गया है, जिसमें शैक्षिक व्यय एवं पाठ्येतर गतिविधियों के लिए उचित राशि भी शामिल है। जीवनसाथी, बच्चे या आश्रित परिवार के सदस्य की गंभीर विकलांगता या बीमारी, जिसके लिए निरंतर देखभाल एवं आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है, भी एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। इस व्यापक ढांचे तक पहुंचने के लिए उद्धृत प्रमुख उदाहरणों में मनीष जैन बनाम आकांक्षा जैन, शैलजा एवं अन्य बनाम खोबन्ना, तथा सुनीता कछवाहा व अन्य बनाम अनिल कछवाहा शामिल हैं, जो इन सिद्धांतों को सुदृढ़ करते हैं तथा आगामी मामलों में भरण-पोषण निर्धारित करने के लिए एक ठोस, उचित और निष्पक्ष आधार प्रदान करते हैं।

28. इस मामले में, दोनों पक्षकारगण ने इस न्यायालय के आदेशानुसार अपनी सम्पत्ति के शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं। अभिलिखित उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष सुशिक्षित हैं, लाभकारी रोजगार में लगे हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा है तथा उन पर लोग आश्रित भी हैं जिनकी देखभाल की जानी है। प्रत्यर्थी पति ड्यूश बैंक में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं एवं उन्होंने शपथपत्र में बताया है कि उनकी सकल मासिक आय लगभग 8 लाख रुपये है तथा कटौती के बाद शुद्ध वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह है। प्रत्यर्थी ने बताया कि उसके आश्रित माता-पिता संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उनकी संचयी वार्षिक आय 28 लाख रुपये से अधिक है। जब वे भारत यात्रा पर आए तो उनके चिकित्सा व्यय और ठहरने की व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रत्यर्थी की होगी। प्रत्यर्थी ने यह भी बताया कि उन पर एक आश्रित चाची है, जिसके लिए वह हर महीने लगभग 55,000 रुपये का चिकित्सा व्यय वहन करता है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी ने अपने व्यक्तिगत मासिक खर्च का अनुमान लगभग 4 लाख रुपये लगाया है। प्रत्यर्थी ने दलील दी है कि कुछ स्टॉक निवेशों और

सावधि जमाओं के अलावा, उसके पास परिसंपत्तियों के रूप में कोई अन्य संपत्ति नहीं है। इस दलील को अपीलार्थी-पत्नी ने यह कहते हुए चुनौती दी है कि प्रत्यर्थी-पति के पास कथित रूप से पुणे में एक संपत्ति है, जो उनका वैवाहिक घर था एवं वह न्यू जर्सी, अमेरिका में भी एक अन्य अचल संपत्ति का मालिक है।

29. अपीलार्थी पत्नी ने अपनी संपत्ति के शपथपत्र में कहा है कि वह वर्तमान में सरला होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड में मानव संसाधन प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं और उनका वेतन 1,39,000 रुपये प्रति माह है। उन्होंने बताया कि वह फिलहाल अपने पैतृक घर में रह रही हैं, जिसके लिए वह अपने माता-पिता को किराया देती हैं तथा उनके आश्रितों में उनके माता-पिता और उनकी नाबालिग बेटी शामिल हैं। उन्होंने अनुमान लगाया है कि उनके मासिक आवश्यक खर्च 4 लाख रुपये से अधिक हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें अपनी नाबालिग बेटी के रहने और शिक्षा पर प्रति माह लगभग 75,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। प्रत्यर्थी ने इसका जोरदार विरोध किया है और अपने कथन में यह बात कही है कि बेटी अपीला र्थी की पिछली शादी से उत्पन्न संतान है तथा अपीलार्थी और उसकी बेटी को भरण-पोषण के लिए उस मामले में स्थायी निर्वाह व्यय के रूप में 40 लाख रुपये मिले थे। उन्होंने कहा है कि उनकी परिसंपत्तियों में कुछ अचल संपत्तियां भी शामिल हैं, जो उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में खरीदी हैं।

30. ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षकारगण के जीवन स्तर समान हैं, जिसका अपीलार्थी -पत्नी ने अलग होने के बाद भी आनंद लेना जारी रखा है। उनके कथनों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि वे दोनों अच्छी तरह से योग्य हैं और लाभकारी रोजगार में हैं, तथापि प्रत्यर्थी पति अपीलार्थी पत्नी की मासिक आय से लगभग पांच गुना कमाता है। प्रत्यर्थी पति के तीन आश्रितों, अपने स्वयं के खर्चों एवं बैंक ऋणों के प्रति कुछ दायित्व हैं,

लेकिन स्पष्टतः उसके पास अपनी पूर्व पत्नी का भरण-पोषण करने की वित्तीय क्षमता भी है।

31. इस न्यायालय ने पक्षकारगण के बीच एकमुश्त समझौते की संभावना पर विचार किया तथा कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी -पत्नी ने एकमुश्त समझौते के रूप में 5 से 7 करोड़ रुपये की मांग रखी, जिससे उसके भरण-पोषण का खर्च एवं आवश्यक आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। दूसरी ओर, प्रत्यार्थी पति ने स्थायी निर्वाह व्यय के रूप में केवल 50 लाख रुपये देने की इच्छा व्यक्त की, तथा कहा कि अपीलार्थी कार्यरत है, उसके पास कई संपत्तियां हैं, तथा उसकी बेटी का भरण-पोषण करने का उसका कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि उसने उसे कभी गोद नहीं लिया।

32. इसमें कोई विवाद नहीं है कि विवाह विच्छेद के बाद प्रत्यार्थी के पास अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का कानूनी दायित्व तथा वित्तीय क्षमता भी है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि भरण-पोषण या स्थायी निर्वाह व्यय दंडात्मक न हो, बल्कि अपीलार्थी पत्नी के लिए उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हो। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, ऊपर वर्णित कारकों, यहां उल्लेखित विचारों एवं दोनों पक्षकारगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस राय पर है कि अपीलार्थी द्वारा की गई मांग असाधारण रूप से अधिक है, लेकिन साथ ही, प्रत्यार्थी द्वारा दी गई पेशकश राशि भरण-पोषण के व्यापक दृष्टिकोण से अपर्याप्त है।

33. परिस्थितियों की समग्रता, पक्षकारगण की सामाजिक एवं वित्तीय स्थिति, उनके वर्तमान रोजगार के साथ-साथ भविष्य की संभावनाओं, जीवन स्तर तथा उनके दायित्वों, देनदारियों एवं अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए, 2 करोड़ रुपये की एकमुश्त निपटान राशि संतुलित और उचित राशि होगी। इस राशि में सभी लंबित और भविष्य के दावे भी शामिल होंगे। इस प्रकार, हम उक्त राशि को स्थायी निर्वाह व्यय के रूप में

निर्धारित करते हैं, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चार महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाना है।

34. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है, निचली न्यायालय के आदेश एवं निर्णय अपास्त किए जाते हैं, लंबित मामलों का तदनुसार निपटान किया जाता है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए तलाक का आदेश दिया जाता है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी-पति को ऊपर निर्धारित समय के भीतर अपीलार्थी-पत्नी को स्थायी निर्वाह व्यय के रूप में 2 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। पक्षकारगण को इस आदेश की प्रमाणित प्रतियां संबंधित न्यायालयों के समक्ष दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी, जहां सिविल एवं आपराधिक दोनों प्रकार के मामले लंबित हैं, जिसके बाद संबंधित न्यायालय ऐसी कार्यवाही को बंद करने के लिए उचित आदेश पारित करेगा।

35. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

आप.या. सं.....@वि.अनु.या.(आप.) सं.1168-1171/2024

36. अनुमति प्रदानित।

37. इन अपीलों का भी उपरोक्तानुसार समान शर्तों/निर्देशों/टिप्पणियों के साथ निपटान किया जाता है।

मामले का परिणाम:अपीलों की अनुमति दी गई।

शीर्ष टिप्पण तैयार किया गया: दिव्या पांडे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.